



CHHATTISGARH SWAMI VIVEKANAND TECHNICAL UNIVERSITY, BHILAI

छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय, भिलाई

क्रमांक : छस्वावितवि/प्रशा./2019/929

भिलाई, दिनांक : 4/4/19

अधिसूचना

अध्यादेशों में संशोधन के अनुसार Bachelor of Engineering (B.E.), Bachelor of Architecture (B. Arch.) एवं Diploma in Pharmacy (D. Pharma) के पाठ्यक्रमों को पूर्ण करने की अधिकतम अवधि क्रमशः 8 वर्ष, 10 वर्ष एवं 4 वर्ष निर्धारित की गई है। फलस्वरूप कार्य परिषद की 53वीं बैठक दि. 15.02.2017 में लिए गए निर्णयानुसार अधिसूचना क्रमांक छस्वावितवि/प्रशा./2017/2301 दि. 23.10.2017 जारी की गई थी।

प्रभावित छात्रों द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदनों पर विश्वविद्यालय के कार्य परिषद की 63वीं बैठक दिनांक 30.03.2019 में विचार किया गया। उक्त बैठक में कार्य परिषद द्वारा लिए गये निर्णयानुसार यह अधिसूचित किया जाता है कि Bachelor of Engineering, Bachelor of Architecture एवं Diploma in Pharmacy के वर्तमान में अध्ययनरत छात्रों के लिए पाठ्यक्रम पूर्ण करने की अधिकतम अवधि निम्नानुसार होगी :-

पाठ्यक्रम का नाम	प्रवेशित सत्र	पाठ्यक्रम को पूर्ण करने की समय-सीमा
Bachelor of Engineering	2017-18 एवं पूर्व प्रवेशित	अप्रैल-मई 2025
Bachelor of Architecture	2017-18 एवं पूर्व प्रवेशित	अप्रैल-मई 2027
Diploma in Pharmacy	2017-18 एवं पूर्व प्रवेशित	अप्रैल-मई 2021

अन्य छात्रों के लिए पाठ्यक्रम पूर्ण करने की अधिकतम अवधि के लिये अध्यादेशों के संशोधित नियम लागू होंगे।


4/4/19

कुलसचिव,
छस्वावितवि, भिलाई

क्रमांक : छस्वावितवि/प्रशा./2019/
प्रतिलिपि :

भिलाई, दिनांक :

1. प्राचार्य/डायरेक्टर, विश्वविद्यालय से सम्बद्ध समस्त महाविद्यालय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2. विश्वविद्यालय सूचना पटल एवं विश्वविद्यालय के वेबसाइट में प्रदर्शित करने हेतु।
3. निज सहायक मा. कुलपति।
4. मास्टर फाइल।


कुलसचिव,
छस्वावितवि, भिलाई